

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ० प्र०
सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, (शहीद पथ के बगल) गोमती नगर, लखनऊ।

विज्ञापन संख्या: 26/एस.सी.डी.आर.सी./यू.पी./अधि.03/18 दिनांक 08 मार्च, 2018
प्रेस विज्ञप्ति

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (राज्य आयोग) में रिक्त हो रहे 01 न्यायिक सदस्य, 01 गैर न्यायिक सदस्य एवं 01 महिला सदस्य के पद पर नियुक्ति की जानी है।

परन्तु यह कि न्यायिक पृष्ठभूमि को रखने वाले व्यक्तियों में से पचास प्रतिशत से अधिक सदस्य नहीं होंगे (स्पष्टीकरण- "न्यायिक पृष्ठभूमि रखने वाले व्यक्ति" का अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है जिनके पास जिला स्तर के न्यायालय में अथवा उसके समकक्ष स्तर से किसी न्यायाधिकरण में पीठासीन अधिकारी के रूप में कम से कम 10 वर्ष की अवधि तक का ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त हो।")

उक्त पद पर नियुक्ति के उपरान्त उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा-16 के अनुसार राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य पांच वर्ष की अवधि के लिए या सड़सठ वर्ष की आयु तक जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा।

राज्य आयोग का कोई सदस्य पांच वर्ष की एक और अवधि के लिए या सड़सठ वर्ष की आयु तक, जो भी पूर्वतर हो, पुनर्नियुक्ति हेतु इस शर्त के अधीन पात्र होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख) में उल्लिखित नियुक्ति की अर्हताओं एवं अन्य शर्तों को पूरा करता है और वह पुनर्नियुक्ति भी चयन समिति की सिफारिश के आधार पर ही की जायेगी।

इसके अनुसार निम्नलिखित अर्हता रखने वाले **अभ्यर्थियों से दिनांक 10 अप्रैल, 2018 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-**

- (1) विज्ञापन की तिथि को आयु 35 वर्ष से कम न हो,
- (2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि रखते हों,
- (3) योग्यता, सत्यनिष्ठा, और प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति होंगे, और जिन्हें अर्थशास्त्र, विधि, वाणिज्य, लेखाकर्म, उद्योग, लोककार्यकलाप अथवा प्रशासन संबंधी समस्याओं से संबन्धित कार्य करने का पर्याप्त ज्ञान हो एवं कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो,

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु अनर्हित होगा यदि वह -


- (क) ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है जिसमें सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है, या
- (ख) उन्मुक्त दिवालिया है, या
- (ग) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है, या

- (घ) सरकार या सरकार के स्वाभित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय में सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है, या
- (ङ) राज्य सरकार की राय में ऐसा वित्तीय हित रखता है जिसके कारण सदस्य के रूप में उसके द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, या
- (च) ऐसी कोई अन्य निरर्हता है जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

पात्र अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ०प्र०, सी-१, विक्रान्त खण्ड-१ (शहीद पथ के बगल में) गोमती नगर, लखनऊ को डाक के माध्यम से अथवा सीधे प्रेषित किया जायेगा। न्यायिक सदस्य पद के अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्रों के साथ अपने अन्तिम न्यायिक पोस्टिंग के पॉच निर्णयों की प्रति संलग्न करेंगे।

आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने, अपूर्ण होने या इस विज्ञापन की तिथि के पूर्व अथवा विज्ञापन में निर्धारित की गई अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने पर आवेदन पत्र स्वतः निरस्त समझे जायेंगे।

अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य विवरण राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ०प्र०, लखनऊ की बेवसाइट <http://scdrc.up.nic.in> से भी प्राप्त किया जा सकता है।


(पंकज कुमार सिंह)
निबंधक

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उ०प्र०
सी-१, विक्रान्त खण्ड-१, (शहीद पथ के बगल में)
गोमती नगर, लखनऊ

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ० प्र० में ०१ न्यायिक सदस्य/०१ गैर न्यायिक सदस्य/०१ महिला सदस्य के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रेस विज्ञापित संख्या: २६/एस.सी.डी.आर.सी./यू.पी./अधि.०३/१८ दिनांक: ०९ मार्च, २०१८

1. आवेदित पद का नाम-
2. अभ्यर्थी का नाम-
(क) हिन्दी में.....
(ख) अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में.....
3. पिता/पति का नाम.....
4. (क) जन्म तिथि (प्रमाण पत्र सहित).....
(ख) विज्ञापन की तिथि को आयु-.....वर्ष.....माह.....दिन
5. (क) शैक्षिक योग्यता (प्रमाण पत्र सहित).....
(ख) विशेष योग्यता (यदि कोई हो, प्रमाण पत्र सहित).....
6. (क) क्षेत्र जिसमें कार्य का पर्याप्त ज्ञान व अनुभव रखते हैं, का ब्यौरा.....
.....
(अर्थशास्त्र, विधि, वाणिज्य, लेखाकर्म, उद्योग, लोक कार्यकलाप या प्रशासन)
(ख) कितने वर्ष का अनुभव रखते हैं। (समुचित प्रमाण पत्र/साक्ष्य सहित).....
.....
(ग) अभ्यर्थी यदि पूर्व में राज्य आयोग/जिला फोरम का सदस्य रह चुका है तो कितनी बार और कहाँ (विवरण एवं अवधि अंकित करें)
7. (क) स्थायी पता.....
.....
(ख) पत्र व्यवहार का पता.....
.....
(ग) गृह जनपद
8. (क) वर्तमान व्यवसाय.....
(ख) पूर्व सेवा/व्यवसाय के अनुभव का विवरण, यदि कोई हो (यदि अभ्यर्थी किसी राजकीय/भारतीय सेवा आदि सेवा से सेवानिवृत्त हुये हैं, तो इसका पूर्ण विवरण अंकित करें, प्रमाण पत्र सहित)
9. श्रेणी (सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति).....
.....
(आरक्षित वर्ग के समर्थन में प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय।)
10. अभ्यर्थी के पिता तथा पति/पत्नी के व्यवसाय का संक्षिप्त विवरण
(क) पिता.....
(ख) पति/पत्नी.....
11. यदि अभ्यर्थी का निकट संबंधी राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग/जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष/सदस्य के पद पर कार्यरत है, तो उसका उल्लेख करें,

अभ्यर्थी
अपनी
अद्यतन स्व
प्रमाणित
फोटो
चिपकायें

✶

12. यदि कोई अभ्यर्थी जो पूर्व में उच्चतर न्यायिक सेवा, सिविल सर्विसेज में या किसी राजकीय/भारतीय सेवा में रहा है अथवा कार्यरत है वह राज्य आयोग में सदस्य के पद पर नियुक्त हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है, उसके विरुद्ध कभी कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही हुई हो तो उसका परिणाम का विवरण अंकित करें.....
-
-
- यदि अनिवार्यता सेवानिवृत्ति अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हुई हो उसका विवरण अंकित करें.....
-
-
- यदि सेवायोजन अवधि में गत वित्तीय 05 वर्षों में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त हुई हो तो उसका विवरण अंकित करें तथा उसकी प्रति भी संलग्न करें.....
-
-
- यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अभ्यर्थी को आपराधिक मामले में दण्डित किया गया हो, या ऐसा कोई मामला विचाराधीन हो, तो उसका विवरण.....
-
13. अन्य विवरण, यदि कोई हो.....
14. टेलीफोन नं. एस.टी.डी. कोड सहित.....
15. मोबाइल नं.....

तिथि

स्थान

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....

अभ्यर्थी का नाम.....

घोषणा पत्र

मैं.....घोषणा करता/करती हूँ कि - (1) मैंने विज्ञप्ति में की गई पात्रता की शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ, वह मुझे मान्य हैं और वे शर्तें मैं पूरी करता/करती हूँ। (2) मेरे द्वारा इस आवेदन पत्र में दिये गये सारे विवरण/सूचनायें सत्य एवं सही हैं और मैंने इन विवरण/सूचनाओं में कोई तथ्य नहीं छिपाया है। यदि कोई विवरण/सूचना असत्य अथवा गलत पायी जाये या कोई मेरे द्वारा छिपाया जाना पाया जाये तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये। यदि नियुक्ति हो जाने के उपरान्त ऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो मेरी सेवाएं समाप्त कर दी जायें। इसमें मुझमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

अभ्यर्थी का नाम.....